

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

पटना, दिनांक.....2013

एस.ओ. संख्या.....रा. चूकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा.....संदलपुर.....

थाना नं०.....179.....परगना.....मुंगेर.....अंचल.....जमालपुर.....जिला.....मुंगेर.....

में सार्वजनिक प्रयोजन, अर्थात्.....अभियंत्रण महाविद्यालय निर्माण हेतु.....

के लिए सरकारी खर्चपर सरकार द्वारा भूमि का ग्रहण अपेक्षित है इसलिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त

योजना के लिए पूर्वोक्त मौजा.....संदलपुर.....थाना नं०.....179.....के भीतर कामोवेस बीघा.....36.....कठ्ठा.....3.....

कठ्ठा.....17.....धूर का जो मानक माप से.....22.62.....एकड़ के बराबर होता है एक भूखंड अपेक्षित है जिसमें.....22.62.....

एकड़ भूमि कृषि योग्य एवं.....X.....एकड़ बंजर भूमि है, जिसका खेसरा संख्या 01,02,03,250,251,252,253,254,

256,257,258,259,260,261,262,263 एवं 264 का अंश।

इस भू खण्ड की चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

उत्तर :- पक्की सड़क

दक्षिण :- खेसरा नं०- 265,266,273,246 एवं कच्ची सड़क

पूर्व :- खेसरा नं०-235,239,255,248

पश्चिम :- रेलवे लाईन

यह अधिसूचना (बिहार अधिनियम 11,1961, द्वारा यथा संशोधित) अधिनियम 1,1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे सम्बन्ध हो।

उक्त भूमि का नक्शा भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार भू अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर और उनके स्टाफ तथा इस परियोजन के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे.....अभियंत्रण महाविद्यालय, भागलपुर.....के पदाधिकारियों और स्टाफ को प्राधिकृत करती है कि ये भूमि पर प्रवेश कर उनका सवेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथाबन्धित या यथाविनिर्दिष्ट अपने कार्य समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त ~~भूमि~~ बंजर/कृषि योग्य.....22.62 एकड़...../है तथा उसका/उनका तुरंत अर्जन आवश्यक है, इस लिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन निदेश दिया जात है कि उक्त अधिनियम की धारा 4 अ के उपबन्ध उक्त भूमि/भूमियों पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(संचिका संख्या.....)

अभियंत्रण


मुंगेर
21-3-13

अभियंत्रण
समाहर्ता,
मुंगेर।

६/०
सरकार के अवर
प्रति

ज्ञा०सं०-14/डी०एल०ए० मुंगेर (अभि० महा०)-45/13-...3.1.02./रा०, पटना-15 दि०-3.1/12/2013

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी०डी० सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, मुंगेर को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 6. आई० टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।